



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



1 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 768 राँची, शुक्रवार

22 दिसम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

6 अक्टूबर, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-779/2014 का.- 5599-उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-957, दिनांक 15.10.2014 द्वारा निगरानी थाना कांड सं०-22/2011, दिनांक 17.08.2011 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री उमाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-588/03), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया कि निगरानी थाना कांड सं०-22/2011 (विशेष वाद सं०-30/2011) में माननीय निगरानी कोर्ट, राँची द्वारा उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है एवं वे गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे हैं।

उक्त निगरानी थाना कांड में श्री प्रसाद के विरुद्ध विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-01/जे०, दिनांक 21.01.2015 द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत की गई तथा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र का पुनर्गठन करते हुए उनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया-

(i) श्री उमा शंकर प्रसाद, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ड्राइविंग लाईसेंस स्मार्ट कार्ड, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं वाहन टैक्स इत्यादि में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने में जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग के कर्मियों को सहयोग किया गया एवं कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

(ii) निगरानी थाना कांड सं०-20/2011 (विशेष वाद सं०-30/2011(ए०)) दिनांक 17.08.2011 में श्री उमा शंकर प्रसाद, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान उप विकास आयुक्त, गढ़वा से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-1108, दिनांक 10.02.2015 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा संबंधित कांड सं०-22/2011 में दिनांक 21.03.2015 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के कारण श्री प्रसाद को असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(क)-(2)(क) के तहत दिनांक 21.03.2015 के प्रभाव से निलम्बित किया गया एवं निलम्बन अवधि का विनियमन निगरानी थाना कांड सं०-22/2011 के निष्पादन के उपरान्त किये जाने का निर्णय लिया गया। न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् श्री प्रसाद को विभागीय आदेश सं०-7097 दिनांक 07.08.2015 द्वारा पुनः अगले आदेश तक निलम्बित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-274/2015, दिनांक 30.11.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप संख्या-1 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या-2 को प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०-2691, दिनांक 29.03.2016 द्वारा श्री प्रसाद को निलम्बन से मुक्त किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-9689, दिनांक 11.09.2017 द्वारा इनको अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद में पदावनत, जिसकी अवधि पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी, का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसे विभागीय संकल्प सं०-462, दिनांक 16.01.2018 द्वारा अस्वीकृत कर पूर्व में अधिरोपित दण्ड यथावत् रखा गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1764, दिनांक 22.11.2022 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पत्रांक-12271, दिनांक 20.10.2022 द्वारा माननीय विशेष न्यायालय (निगरानी), भ्र0नि0ब्यूरो, हजारीबाग द्वारा दिनांक 25.06.2019 को पारित न्यायादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त न्यायादेश में उक्त कांड के अभियुक्त श्री उमा शंकर प्रसाद, तत्कालीन जिला परिवहन

पदाधिकारी, हजारीबाग के साथ अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है। विधिज्ञा के क्रम में विधि पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य की कमी के आधार पर वाद में कोई अपील का आधार नहीं पाये जाने के कारण अपील दायर नहीं किया गया है। निगरानी थाना कांड सं0-22/2011, दिनांक 17.08.2011, विशेष वाद सं0-30/2011 में श्री अमित शेखर, माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी), ए०सी०बी०, हजारीबाग द्वारा दिनांक 25.06.2019 को पारित न्यायादेश का ऑपरोटिव पार्ट निम्नवत् है

"To conclude on the basis of my discussion made above, I have no hesitation in holding that the prosecution has completely failed to drive home the charges framed against the accused persons and in the given facts, I am inclined to extend them benefit of doubt in their favour.

In the result for the foregoing discussion, I come to the finding that the prosecution has completely failed to prove its case against the accused persons beyond reasonable doubt and therefore, they are found not guilty for the same and acquitted thereof. They and their sureties are discharged from the liability of their bail bond. The accused persons are set at liberty."

श्री प्रसाद द्वारा आवेदन समर्पित कर निलंबन अवधि 21.03.2015 से 28.03.2016 तक के सेवा विनियमन करने का अनुरोध किया गया है ।

श्री प्रसाद द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि निगरानी थाना कांड में माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें दोष मुक्त किया गया है। परन्तु श्री प्रसाद के विरुद्ध उक्त मामला से संबंधित गठित आरोप पत्र पर विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात् विभागीय संकल्प सं-9689, दिनांक 11.09.2017 द्वारा उनके विरुद्ध पदावनति का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

अतः श्री उमा शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त झाप्र०से०, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के निलंबन दिनांक 21.03.2015 से 28.03.2016 तक की अवधि को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि उक्त अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के उप सचिव ।
